न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

केम्प – पोटलाकंला

प्रकरण संख्या – 21/2017 दिनांक : 18–06–2018

उनवान

1. श्रीमति प्रेमकुंवर पत्नी स्व. भगवानसिहं उर्फ भवानीसिहं राजपूत वयस्क निवासी चरपोटिया तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. दलपतसिहं पुत्र स्व. भगवानसिहं उर्फ भवानीसिहं राजपूत वयस्क निवासी चरपोटिया तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ
3. श्री गोपाल सिहं स्व. भगवानसिहं उर्फ भवानीसिहं राजपूत वयस्क निवासी चरपोटिया तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ

....................वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 एवं 136 भू0रा0अधि0

उपस्थित–श्री फारूख मोहम्मद वकील वादी
पैरोकार सरकार नायब तहसील भादसोडा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89, एवं एल0आर0एक्ट की धारा 136 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादीगण ग्राम चरपोटिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ के स्थाई निवासी होकर वादिया कमांक 1 स्व. भगवानसिहं की पत्नि तथा वादी कमांक 2 व 3 स्व. भगवानसिहं के पुत्र है श्री भगवानहिं को भवानीसिहं के नाम से भी पुकारा जाता था लेकिन समस्त राजकीय अभिलेख में भगवानसिहं नाम ही अंकित रहा है श्री भगवानसिहं उर्फ भवानीसिहं का देहान्त दिनांक 05–10–2011 हो चुका है ।
2. यह कि वादीगण के पिता एवं पति को वर्ष 1977 में बमिसल कमाक 371/77 से मौजा चरपोअिया तहसील भदेसर के [illegible] आराजी [illegible]/20/69 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा में से 9 बिघा भूमि आंवटित की गयी वक्त आ[illegible] [illegible]गण के पिता ने आवंटन पत्रावली में अपना नाम भगवान सिहं पुत्र देवी[illegible] प्रस्तुत किया गया था परन्तु ना0क0 संख्या 133 जो कि वादीगण के पिता एवं पति के नाम पर दर्ज किया [illegible] भगवानसिहं के बजाय श्री भवानीसिहं पुत्र देवीसिहं नाम अंकि[illegible] कर दिया जिससे [illegible] रेकार्ड में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भगवानसिहं अंकित नहीं होकर भवानी सिहं पुत्र देवीसिहं अंकित कर दिया गया है । वादीगण के पिता व पति अशिक्षित होकर गलत इन्द्राज की कभी जानकारी नहीं रही है ।

3. यह कि भवानीसिहं पुत्र देवीसिहं नाम से मौजा चरपोटिया तहसील भदेसर में कोई व्यक्ति नहीं है । वादीगण के पिता एवं पति भगवानसिहं का बोलता नाम भवानीसिहं भी था दस्तवेजात में भगवानसिहं के नाम से पहचान पत्र / राशनकार्ड इत्यादि भी बने हुए थे मजमें आम में भी वादीगण के पिता को भी भगवानसिहं उर्फ भवानीसिहं दोनों ही नाम से जाना जाता है आंवटन एवं मिल कायमी के वक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा मिसल वादीगण के पिता के बोलते नाम से कायम कर दी गई होगी लेकिन भगवानसिहं निरक्षर होने से आंवटन मूल नाम भगवान सिहं के बजाय बोलता नाम भवानी सिहं के नाम हो जाने की जानकारी वादीगण को नहीं रही है आवटन की दिनांक से ही उक्त आवटिंत आराजी पर काबिज होकर अपन कृषि उपयोग में ले रहें है तथा उनके देहान्त के बाद वादीगण के उपयोग उपभोग में है ।

4. यह कि उक्त वादीगण के पिता/पति का देहान्त हो जाने के बाद वादीगण द्वारा पटवार मण्डल पोटलाकलां तहसील भदेसर से जमाबन्दी खाता संख्या 55 में दर्ज आराजी संख्या 142 एवं 143/1 व खाता संख्या 56 में दर्ज आराजी संख्य 1/20/69/9 के ना0क0 नहीं खोले जाने पर जानकारी करने से वादीगण के पितापति का राजस्व रेकार्ड में भवानी सिहं पुत्र देवीसिहं नाम गलत इन्द्राज किये जाने की जानकारी में आया जिससे वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भवानीसिहं पुत्री देवीसिहं के बजाय भगवान सिहं पुत्र देवीसिहं राजपूत अंकित किया जाकर वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरस्ती व नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से वादपत्र वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु पेश किया है ।

5. यह कि भवानी सिहं पुत्र देवीसिहं राजपूत नग का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम चरपोटिया में नहीं है फिर भी दावे के तथ्यों की शुद्वता एवं वैद्यता के लिये हर खास व आम ग्राम चरपोअिया को प्रतिवादीगण बनाया गया है वाद के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां तथा भगवानसिहं का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

6. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 15.12.2016 को पैदा होकर निरन्तर जारी है अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा चरपोटिया के खाता संख्या 55 एवं 56 में दर्ज आराजीयात में श्री भवानी सिहं के बजाय भगवानसिहं अंकित किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी प्रदान करायी जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भादसोडा द्वारा मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि –

1. ग्राम चरपोटिया की जमाबन्दी 2070–2073 के खाता संख्या 55 पर दर्ज खातेदार का भवानीसिहं पिता देवीसिहं राजपूत है जो उक्त भूमि आवंटन के पश्चात् से लगातार चला आ रहा है ।
2. पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत पोटलाकलां के प्रमाण पत्र अनुसार भवानीसिहं एवं भगवानसिहं एक ही व्यक्ति का नाम है भवानीसिहं नाम का अलग से कोई व्यक्ति नहीं है उक्त आराजी पर भगवानसिहं के वारीसान का कब्जा काश्त है ।

उक्त खाते में अंकित नाम भवानीसिहं पिता देवीसिहं के बजाय भगवानसिहं पिता देवीसिहं राजपूत अंकित कि[illegible]ी अनुशंषा की जाती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद के समर्थन [illegible] जमाबन्दी खाता संख्या 56 मौजा चरपोटिया संवत् 2065–2068 , नकल जमाबन्दी खाता संख्या 55 मौजा चरपोटिया संवत् 2070–2073 , ना0क0 संख्या 133 मौजा चर[illegible]टिया , उपजिलाधीश निम्बाहेडा द्वारा जारी रूक्का दिनांक 19.11.1977, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भगवानसिहं भाटी, परिवार

18.6.18
अधिकारी

Scanned with CamScanner

राशन कार्ड की फोटा प्रति श्रीमति प्रेमकुंवर ,फोटो प्रति फोटो पहचान पत्र प्रेमकुंवर , फोटो प्रति फोटो पहचान पत्र भगवानसिहं , फोटो प्रति फोटो परिवार राशनकार्ड भगवानसिहं , फोटो प्रति फोटो परिवार राशनकार्ड गोपालसिहं भाटी , ग्राम पंचायत पाटेलाकंला द्वारा भवानीसिहं उर्फ भगवानसिहं एक ही व्यक्ति होने व उसके परिवर का सजरा प्रमाणिकरण के बाबत जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2018 प्रस्तुत किया गया ।

लायक अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार भादसोडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं ग्राम पंचायत जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है कि मृतक भवानी सिहं पिता देवीसिहं राजपूत और भगवानसिहं सिहं पिता देवीसिहं भाटी एक ही व्यक्ति है तथा उसकी वारिसान वादीगण ही होकर भवानीसिहं उर्फ भगवानसिहं की खातेदारी में दर्ज आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में भवानीसिहं के नाम को शुद्व कराने चाहते । जो न्यायालय भी उचित मानता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि मौजा चरपोटिया पटवार हल्का पोटलाकलां की खाता संख्या 55 की आराजी नम्बर 142 एवं खाता संख्या 56 की आ0न0 1/20/69/9 में अंकित खातेदार की प्रविष्ठि भवानीसिहं पिता देवीसिहं राजपूत जिनकी मृत्यु हो चुकी है का नाम **भवानीसिहं पिता देवीसिहं राजपूत के स्थान पर भवानीसिहं उर्फ भगवानसिहं पिता देवीसिहं राजपूत** नाम माना जाकर उनके वारिसान की जांच की जाकर वादीगण के पक्ष में विधिवत तरीके से विरासत का नामान्तरण खोला जाने व राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

18.6.18

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner